सेवामें,

श्रीमान थानाधिकारी महोदय,

सुमेरपुर (पाली)

विषय – नाबालिग को षडयंत्रपूर्वक बुलाकर, बलपूर्वक अगवाकर, अपमान व आपत्तिजनक अपशब्दों के साथ गाली–गलौच करने, मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित कर मारपीट करने, स्वीकृति हेतु जबरदस्ती दबाव बनाने व विडियो बनाने, वायरल करने व जान से मारने की धमकियां देने एवं नाबालिग को मादक पदार्थ गांजा की खरीद फरोख्त में शामिल करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने हेतु मुकदमा दर्ज करने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि –

1. दिनांक 15.11.2024 की शाम को मेरे भाई लोकेश पुत्र महेन्द्र सिंह उम्र 16 वर्ष निवासी पुराडा जो कि नाबालिग है को विनोद पुत्र अजीत सिंह निवासी पुराडा व विष्णु पुत्र शंकर सिंह निवासी पुराडा द्वारा मिलकर गांव के ही एक अन्य लडके (छोटू) को घर भेजकर व फोन पर बहला–फुसलाकर गांव के आकरिया में बुलाकर गाली–गलौच के साथ मारपीट करते हुये गांव से जबरदस्ती बलपूर्वक अगवाकर सुमेरपुर स्थित घर ले जाया गया।
2. अगवा कर ले जाते वक्त बीच रास्ते में मेरे भाई द्वारा मुझे कॉल का प्रयास करने पर अपराधी विष्णु द्वारा मारपीट व गाली–गलौच के साथ मेरे भाई का फोन भी जबरदस्ती जप्त कर लिया गया ताकि वह घरवालों से किसी भी तरह सम्पर्क न कर सके जिससे पूरे घटनाक्रम के दौरान मेरा भाई घरवालों से सम्पर्क नही कर पाया।
3. घर के बाहर गली में अपराधियों द्वारा स्वयं व साथ ले जाये गये गांव के ही लडके से (आमने–सामने खडा कर एक–दूसरे से) पिटवाने, कान पकडकर उठक–बैठक लगवाने व पैर पकडवाकर 'गू खाने' जैसे अपमान व आपत्तिजनक शब्द बुलवाते हुये फोन से विडियोग्राफी करते हुये मारपीट के साथ स्वीकृति लिये जाने हेतु जबरदस्ती दबाव बनाते हुये गाली–गलौच (मादरचोद, भेनचोद, चुतिये, हरामजादे, भडवे, लवडे जैसी मां–बहन व निजी अंग सूचक अनगिनत गालियां), फब्तियां व निजी अंगो पर टिप्पणीयां, अपमानित करते हुये अपशब्द कहने के साथ बाल खींचने, थप्पडे व लाते मारने, हाथ व कान मरोडने, गला पकडने जैसी हरकतो को अंजाम देकर मारपीट की गई।
4. तत्पश्चात शैतान सिंह पुत्र अजीत सिंह (जो अपराधी विनोद का बडा भाई है) आकर छत पर लाने का कहने पर अपराधियों द्वारा गालियों व अपशब्दों के साथ अपमानित व मारपीट करते हुये फर्स्ट फ्लोर की छत पर ले जाकर कैद कर मारपीट (जिसमें विनोद द्वारा लात व विष्णु द्वारा प्लास्टिक के पाईप का भी उपयोग किया) कर विडियोग्राफी के साथ बिना पूरी बात सुने व बिना वास्तविकता को समझे को दबाव

बनाते हुये लडकी के पैर पकडवाकर व पिटवाते हुये आहत व हताश कर मेरे नाबालिग भाई को जबरदस्ती स्वीकृति (गाली देना) के लिये मजबूर किया गया।

5. गौर करने वाली बात है कि अपराधियों द्वारा सुनिश्चित कर कि मेरे भाई व वृद्ध दादाजी के अलावा मेरे घर और कोई नही है। क्योकिं जब मैं व मेरी मम्मी शिवगंज खरीददारी (दस वर्षीय छोटी बहन के स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम) के लिये गये तब अपराधी विनोद भी अपनी छोटी लडकी जो मेरी छोटी बहन की कक्षा में ही पढती है के लिये खरीददारी हेतु उस दुकान में पहले से मौजूद था। हमें वहां देखने के उपरांत अपराधी विनोद द्वारा अपराधी विष्णु से संपर्क कर व स्वयं गांव में आकर योजनाबद्ध (पूर्व प्लानिंग) व सुनियोजित ढंग से घटना को अंजाम दिया गया। घटित घटना की पुष्टि जगह–जगह के सीसीटीवी कैमरा फुटेज, उपस्थित गवाहों, अडोस–पडोस व दोनो अपराधियों के कॉल डिटेल इत्यादि से की जा सकती है।
6. दी गई यातनाओं (मानसिक व शारीरिक) के कारण लगभग तीन–चार दिनो तक मेरा भाई मानसिक अवसाद से ग्रस्त रहा। दिनांक 19.11.2024 को शरीर व कान में दर्द की शिकायत पर मेरे भाई का राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुमेरपुर में चेकअप करवाया तत्पश्चात कान दर्द में आराम न मिलने पर दिनांक 20.11.2024 को मेरे भाई का भगवान महावीर अस्पताल सुमेरपुर में चेकअप करवाया (दोनो अस्पतालों के रसीद की प्रति संलग्न है)।
7. समझाने–बुझाने पर मेरे भाई ने अपराधियों द्वारा दी गई मानसिक व शारीरिक प्रताडना व यातनाओं की जानकारी देते हुये अपराधियों द्वारा किये गये उत्पीडन (टॉर्चर) की पूरी बात बताई जो कि अपराधियों (विशेषतः विष्णु) द्वारा किसी से कुछ भी कहने पर खत्म करने (जान से मारने), मारपीट का विडियों वायरल करने तथा झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर डराने–धमकाने से नाबालिग होने के कारण भयभीत होकर सहम जाने से वह तत्समय (जब मैं और मेरी मम्मी सुमेरपुर छुडवाने गये) कुछ नही बता पाया।
8. दिनांक 23.11.2024 को मेरे भाई ने बताया कि विष्णु पुत्र शंकर सिंह द्वारा मेरे नाबालिग भाई को दिनांक 27.08.2024 को ऑनलाईन राशि 110/– रूपये हस्तांतरित कर सुमेरपुर पुराडा रोड पर स्थित दुकान से स्वयं के लिये गांजा व सुमेरपुर पुराना पाली बस स्टेण्ड स्थित टपरी से गांजा सेवन हेतु एक विशेष प्रकार का पेपर खरीद कर भी मंगवाया था (अपराधी से ऑनलाईन राशि प्राप्ति व दुकानदारों को किये गये भुगतान की प्रति संलग्न है)।
9. गांजा जैसे मादक पदार्थ की खरीद–फरोख्त का कृत्य अपराधी विष्णु द्वारा गांव में जन्माष्टमी जो कि 27.08.2024 को शाम के करीब छः बजे मनाई जानी थी, में मेरे नाबालिग भाई के हाथों मटकी फुडवाने का लालच व ब्लेकमेलिंग (सिगरेट पीते हुये का विडियो घर वालों को बताने व वायरल करने की धमकी) देकर करवाया गया। इसी ब्लेकमेलिंग के जरिये डराकर मादक पदार्थो की खरीद–फरोख्त में संलिप्त करने का प्रयास अपराधी विष्णु कई बार कर चुका था। अंतत मेरे भाई द्वारा गांजा की खरीद–फरोख्त का कार्य करने

से इंकार करने व स्वयं घरवालों से शिकायत की बात से करने मेरा भाई पहले से अपराधी विष्णु के निशाने पर था और मौका पाकर वह नीचा दिखाने के उद्देश्य से इस कृत्य में संलिप्त हुआ।

10. अध्ययन (मेरी व मेरे भाई) की व्यस्तता, अपराधियों द्वारा गवाहों को प्रभावित करने का अंदेशा, मेरे परिवार द्वारा कभी कोर्ट–कचहरी के चक्कर में न आने जैसी और भी कई प्रतिकूल (मार्गदर्शन का अभाव, आर्थिक, दोषियों की आपराधिक मनोवृत्ति आदि) परिस्थितियों के कारण हम तुरंत कार्यवाही नही कर पाये। परन्तु प्रकरण में और भी पहलू सामने आने व मेरे पारिवारिक सदस्यों को प्रकरण का पता लगने पर अपराधियो के विरूद्ध मामला दर्ज करवाने की राय दी गई।
11. अपराधियों द्वारा न केवल मेरे नाबालिग भाई को अगवा किया गया बल्कि उक्त वर्णित बिन्दुओं अनुसार यातनायें व प्रताडनाये देकर उत्पीडन भी किया गया। जिससे मेरे भाई का अध्ययन भी प्रभावित हुआ है और वह वर्तमान तक किये गये उत्पीडन (दी गई यातना व प्रताडना) से उभर नही पाया है। अगर हमें और लोगों के द्वारा मेरे भाई के अपहरण का पता न चलता तो अपराधी मेरे भाई के साथ कुछ भी कर सकते थे। मेरे भाई की जान को भी खतरा हो सकता था।
12. अपराधी रंजिश के चलते पुलिस व कानूनी कार्यवाही (हमारे द्वारा) किये जाने के कारण कुंठाओ से ग्रसित होकर भविष्य में भी मेरे भाई या परिवार के विरूद्ध कोई साजिश कर झूठे आरोप–प्रत्यारोप लगा सकते या किसी और से भी लगवा सकते है। अपराधी स्वयं अथवा किसी और के मार्फत भी द्वेषपूर्ण रवैये/कुत्सित मानसिकता/बदले की भावना से ग्रसत होकर आपराधिक मनोवृत्ति के कारण अनहोनी/दुर्घटना को अंजाम दे सकते है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रकरण में सम्मिलित उक्त 'सफदपोश' अपराधियों के विरूद्ध संबंधित संगीन धाराओं में मुकदमा (नाबालिग व नशा कानूनन्तर्गत) दर्ज कर ठोस व त्वरित कार्रवाई करते हुये पीडित मेरे भाई व परिवार को उचित न्याय दिलवाने की कृपा करावे। साथ ही भविष्य में मेरे भाई, मेरे या मेरे किसी परिवारिक सदस्य के साथ कही भी यदि कोई दुर्घटना घटित हो तो इसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से उक्त 'सफेदपोश' अपराधियो को माना जाये।

संलग्न – उपरोक्तानुसार (बिन्दु 9 में वर्णित अस्पताल चेकअप की रसीद)।

प्रतिलिपी– राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग।

दिनांक भवदीय

सूरज सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
निवासी पुराडा

राजस्थान सरकार

राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

Token No : N - 335
Printed On : 19-11-2024 02:47 PM   Valid Upto: 19-11-2024 11:59 PM
MID : 2109221-27532942   Visit No: V/CSUMPL/24/107727
Patient : MR. LOKESH SINGH 16Y /M   Mobile : +91 6378415951
Father's Name: MAHENDRA SINGH   Mother's Name: CHANDA
Category/Amount: DOMICILE OF RAJASTHAN/Rs.0.00
Department/Unit: GENERAL MEDICINE/UNIT 1
Building/Cabin: MAIN BUILDING/ROOM NO-.
Visit Date : 19-11-2024   Visit Type: NEW CASE
Operator : kishor.kumar1984   JanAdhar : XXXXXXXXXX
OPD Days : Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun
Disclaimer - In case of any side effect from medicines. call helpline number (toll free): 1800-180-3024 (Mon. to Fri. 9.00 AM to 5.30 PM).inform

Allgd c/o Assault

c/o Bodyache

Rx

ns [illegible]

हस्ताक्षर चिकित्सक

चिकित्सालय में आते समय पुरानी पर्ची एवं जनआधार कार्ड साथ लेकर आवे/चिकित्सालय परिसर में धुम्रपान करना गुटखा खाना सख्त मना है।

सौजन्य से : राजस्थान मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुमेरपुर, रजि. नं. पाली/37/2001-2002
फोन नं. : 02933-254513 Email : chcsumerpur@yahoo.com

The Rajasthan Medical Society & Research Centre's

Bhagwan Mahavir Hospital, Sumerpur

Clinical Est. Raj. - No. 0811800039

Rajmal S.Jain (Jawaibandh) Road, SUMERPUR-306902 Distt. Pali (Rajasthan)

UHID No.	: 2354307	Date / Time	: 20/11/2024 - 03:28 PM
Patient Name	: MR. LOKESH SINGH (F) MAHENDRA SINGH	Doctor Name	: DR. Harsh Patel
Gender	: Male Age : 16 Y 10 M 27 D	Speciality	: General medicine
Mobile No.	: 918619285488	Receipt No.	: 27352975
Address	: PURADA . . Sumerpur Rajasthan India 0		
Company	: Self	Amount	: 50
Guardian Name:	:	User	: PARAS
PaymentMode	: Cash	Token	: 14

OPD ASSESMENT FORM

Vitals / GPE

PR : 90/min

BP :

Spo2 : 99%

Temp :

WT :

Investigation

NO HURT | HURTS LITTLE BIT | HURTS LITTLE MORE | HURTS EVEN MORE | HURTS WHOLE LOT | HURTS WORST

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO PAIN | NO PAIN | MODERATE PAIN | SEVERE PAIN | WORST PAIN POSSIBLE

Presenting Complants/History :

vomiting

C/o

Anxiety

Insomnia

Clinical Findings :

Sytemic Examination :-

Care Plan :

Provisional/Final Diagnosis..

Next Follow Up Date..

MLC - Y/N / MLC No. ....

Allergies if any..........................

Nutritional Status :
Normal/at risk of malnutrition/Malnourished

Immunization Status : ....

Mode :
Stretcher/Wheelchair/Walking

Treatment Orders :

Rx

T. FNpentasm-M 1-0-0

T - AnxiBid 0-0-1

Cap Pablex-DSL

T. VomiFlam-SP 1-0-1

10 days

Sign. & Seal

Website : www.bmhosp.org
E-mail : mahavirhospital1987@gmail.com, aobmh1987@gmail.com
Ph : Enq. 02933-258399 258559, Offi. 258632, Mob. 7412070211, 7877701060

आपातकालीन सेवाएं 24x7

गुरुवार अवकाश